न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 28/19 **अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91**

सायल		गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये	बनाम	श्री अलादीन पुत्र ... ...
पटवारी हल्का गिराब		जाति मुसलमान निवासी जीनो की बस्ती
	तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने रिपॉट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम खरेडी छई के खसरा नंम्बर 731 रकबा 318-12 बीघा में से 100 बीघा किस्म बी.धी राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया है। पटवारी हल्का की रिपॉट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 100 अक्षरे सौ रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 100 फसल नि. 5150/-
कुल योग 5250/- जि.के पृष्ठ सं. 34
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसील राजस्व लेखाकार